रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18052020-219425
CG-DL-E-18052020-219425

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1352] नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2020/वैशाख 28 , 1942
No. 1352] NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2020/VAISAKHA 28, 1942

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2020

का.आ. 1513(अ).—जबकि वैश्विक महामारी, कोविड-19 के कारण सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन लागू है और केन्द्र सरकार आवश्यक जांच करने के बाद नियोक्ताओं और कर्मचारियों के हाथों में नकद राशि प्रदान करने हेतु संतुष्ट है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 320(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 1997 के माध्यम से प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना को संशोधित करने की आवश्यकता है;

अत: कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उपर्युक्त जांच करने के बाद, उक्त अधिसूचना संख्या का.आ. 320 (अ) दिनांक 9 अप्रैल,1997 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: -

उक्त अधिसूचना में खंड (iv) के बाद अनुसूची II में निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, नामत: -

"(V) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण के अधीन अन्य प्रतिष्ठानों, जैसा भी मामला हो, को छोड़कर किसी भी प्रतिष्ठान में इसके द्वारा माह मई, जून और जुलाई, 2020 के लिए देय वेतन के संबंध में।

यह प्रावधान किया जाता है कि यह खंड कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने दिनांक 9 अप्रैल, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या सी-1/विविध/2020-21/खंड-II/भाग के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राहत के लिए पात्र प्रतिष्ठानों के लिए लागू नहीं होगा"!

[फा. सं. एस-35019/01/2020-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

नोट : मूल अधिसूचना का.आ. 320(अ), दिनांक 9 अप्रैल, 1997 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th May, 2020

S.O. 1513(E).—Whereas due to Covid-19 pandemic, lockdown Is in force across the country and the Central Government after making necessary inquiry is satisfied that to provide liquidity in the hands of employers and employees, there arises a need to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Labour published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section(ii) vide number S.O. 320(E), dated 9th April, 1997;

Therefore, in exercise of powers conferred by first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making aforesaid inquiry, hereby makes the following amendments in the said notification number S.O. 320 (E) dated the 9th April, 1997, namely:-

In the said notification, in SCHEDULE II, after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:-

"(v) Any establishment, other than Central Public Sector Enterprises and State Public Sector Enterprises and other establishments owned by, or under the control of the Central Government or the State Government, as the case may be, in respect of wages payable by it for the months of May, June and July, 2020".

Provided that this clause shall not be applicable to the establishments eligible for relief under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana guidelines issued by the Employees' Provident Fund Organization vide its Office Memorandum No.C-1/Misc./2020-21/Vol.II/Pt. dated 9th April, 2020 ".

[F. No. S-35019/01/2020-SS-II)

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* S.O. 320 (E), dated 9th April, 1997.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.05.18 20:37:08 +05'30'

रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 245] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 10, 1997/चैत्र 20, 1919
No. 245] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 10, 1997/CHAITRA 20, 1919

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1997

का. आ. 320 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस अधिसूचना की अनुसूची I में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुए, उन बातों को छोड़कर ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा किए जाने से चूक हो गयी है, केन्द्रीय सरकार इस मामले में आवश्यक जांच-पड़ताल करने के पश्चात् मई, 1997 के प्रथम दिन से अनुसूची-II में निर्दिष्ट प्रतिष्ठानों के अलावा उस प्रत्येक प्रतिष्ठान और प्रतिष्ठानों की श्रेणी को निर्धारित करती है जिन पर उक्त परंतुक लागू होगा।

अनुसूची I

(i) का. आ. 360 दिनांक 17 मई, 1989
(ii) का. आ. 1837 दिनांक 29 जून, 1990
(iii) का. आ. 627 (अ.) दिनांक 31 अगस्त, 1994
(iv) का. आ. 126(अ) दिनांक 1 मार्च, 1997

अनुसूची II

उन प्रतिष्ठानों की सूची जिन पर धारा 6 का प्रथम परन्तुक लागू नहीं होगा।

(i) कोई ऐसा प्रतिष्ठान जिसमें बीस से कम व्यक्ति नियोजित हों;

(ii) कोई भी ऐसा रुग्ण औद्योगिक कंपनी जिसे रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (ण) में परिभाषित किया गया है और जिसे उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत गठित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा बोर्ड में उक्त संदर्भ के पंजीकरण की तारीख को और उससे प्रारम्भ होने वाली जिस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए रुग्ण कंपनी घोषित किया गया है उस तारीख तक उक्त कंपनी का निवल मूल्य उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पारित किए गए आदेशों के अनुसार अथवा उक्त अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संस्वीकृत योजना के कार्यान्वयन की अंतिम तारीख को सकारात्मक हो जाता है;

(iii) कोई ऐसा प्रतिष्ठापन जिसे किसी भी वित्तीय वर्ष के अन्त में इसके संपूर्ण निवल मूल्य अर्थात्, संदत्त पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि के समतुल्य अथवा अधिक संचित नुकसान हुआ है तथा जिसे ऐसे वित्तीय वर्ष में और ऐसे वित्तीय वर्ष से तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भी नकद घाटा हुआ है।

स्पष्टीकरण : खंड (iii) के प्रयोजनार्थ "नकद घाटा" का अर्थ उस नुकसान से है जिसकी गणना घाटे की व्यवस्था न किए जाने के रूप में की गयी है;

(iv) निम्नलिखित में कोई भी प्रतिष्ठान :—
  (अ) जूट उद्योग;
  (ब) बीड़ी उद्योग;
  (स) ईंट उद्योग;
  (द) कॉयर उद्योग, बुनाई क्षेत्र के अलावा;
  (य) गौर गम कारखाने

[फा.सं.एस-35019/1/97-एस.एस. II]
आर. के. सैनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 1997

S.O. 320(E).—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) and in supersession of the notifications specified in Schedule I to this notification except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government after making necessary inquiry into the matter hereby specifies with effect from the first day of May, 1997 every establishment and class of establishments other than those specified in Schedule II, to which the said proviso shall apply.

SCHEDULE I

(i) S.O. 360 Dated the 17th May, 1989
(ii) S.O. 1837 Dated the 29th June, 1990
(iii) S.O. 627 (E) Dated the 31st August, 1994
(iv) S.O. 126(E) Dated the 1st March, 1995

SCHEDULE II

Establishments to which the first proviso to section 6 shall not apply.

(i) Any establishment in which less than twenty persons are employed;
(ii) Any sick industrial company as defined in clause (o) of sub-section (1) of section 3 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986) and which has been declared as such by the Board for Industrial and Financial Reconstruction established under section 4 of that Act, for the period commencing on and from the date of registration of the reference in the Board and ending either on the date by which the net worth of the said company becomes positive in terms of the orders passed under sub-section (2) of section 17 of that Act or on the last date of implementation of the Scheme sanctioned under section 18 of that Act;
(iii) Any establishment which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth that is, the sum total of paid up capital and free reserves and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year.

Explanation :—For the purposes of clause (iii) "cash loss" means loss as computed without providing for depreciation;

(iv) Any establisment in the,—
  (A) Jute industry;
  (B) Beedi industry;
  (C) Brick industry;
  (D) Coir industry other than the spinning sector;
  (E) Gaur gum factories

[F.No. S-35019/1/97-SS II]
R.K. SAINI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997